

**कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।**

संख्याक: 12524-26

/2017-18

दिनांक 23-12-17

**माध्यम - अंग्रेजी**

**प्रबन्धक,**

**बालाजी ग्लोबल एकेडमी जूहाठस्कूल अहिरवा,  
फर्डपुर रोड, मैनपुरी।**

**विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए  
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के  
अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।**

**महोदय/महोदया,**

आपके तारीख जुलाई, 2017 से अगस्त, 2017 तक के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परवातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं बालाजी ग्लोबल एकेडमी जूहाठस्कूल अहिरवा, फर्डपुर रोड, मैनपुरी को तारीख 12 दिसम्बर, 2017 से तारीख 11 दिसम्बर, 2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

**उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-**

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4-पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कॅम्पिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा

- (i)- प्रवेश दिए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (ii)- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या, मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
- (iii)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv)- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v)- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्ता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii)- अध्यापक अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- (viii)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

**कल्पना मिश्रा**  
**Principal**

**BALAJI GLOBAL ACADEMY**  
**Fardpur Road, Ahrwa (Mainpuri)**

**कमल**  
**Manager**

**BALAJI GLOBAL ACADEMY**  
**Fardpur Road, Ahrwa (Mainpuri)**